भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(ऐक्सेस सर्विसेज सेल)
संचार भवनस, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 27.02.2008

सं0 842-947/2007-एएस-IV/18

सेवा में,

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं से एकीकृत अभिगम सेवा में अंतरित सभी लाइसेंसधारक।

**विषय : सीएमटीएस से अंतरित एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस करार में संशोधन।**

यूएएस लाइसेंस करार के खंड 5.1 के अनुपालन में अन्य बातों के साथ-साथ जनहित में तथा राष्ट्र की सुरक्षा के हित में लाइसेंस के निबंधन और शर्तों को किसी भी समय आशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए और सेवा के समुचित संचालन के लिए लाइसेंसदाता यूएएस लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के खंड 18.3.1 को तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित करता है, अर्थात - 18.3.1 खंड 18.2 के अनुसार लाइसेंसधारक लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त डब्ल्यूपीसी प्रभारों के लिए एजीआर 2% की राजस्व हिस्सेदारी आधार पर स्पेक्ट्रम प्रभार का भुगतान करेगा जिसमें 4.4 मेगाहर्ट्ज + 4.4 मेगाहर्ट्ज तथा सेल्यूलर स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के लिए रायल्टी का भुगतान और सेल्यूलर मोबाइल हैंडसेटों और सेल्यूलर मोबाइल बेस स्टेशनों तथा वायरलेस प्लानिंग एंड कोआर्डिनेशन विंग (डब्ल्यूपीसी द्वारा निर्धारित ब्यौरों के अनुसार वायरलेस टेलीग्राफी उपस्करों के अधिग्रहण के लिए लाइसेंस शुल्क भी शामिल है। कोई अतिरिक्त बैंडविड्थ यदि उपलब्धता और औचित्यता के अध्यधीन आबंटित किया जाता है तो उस पर राजस्व हिस्सेदारी के रूप में अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क लगेगा (यदि बैंडविड्थ 4.4 मेगाहर्ट्ज + 4.4 मेगाहर्ट्ज के स्थान पर 6.2 मेगाहर्ट्ज + 6.2 मेगाहर्ट्ज तक आबंटित किया जाता है तो प्रतीकात्मक रूप से 1% अतिरिक्त राजस्व हिस्सा)। तथापि, राजस्व हिस्से पर आधारित स्पेक्ट्रम प्रभार वसूलने के सीमित प्रयोजन हेतु एजीआर की गणना करते समय वायरलाइन उपभोक्ताओं से मिलने वाले राजस्व को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

2. लाइसेंस की सभी अन्य निबंधन और शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।

3. कृपया पावती दें।

**(एन0एम0 मणिकम)**
**निदेशक (एएस-IV)**
**दूरभाष सं0 23372063**

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, टीआरएआई।
2. वरि0 उपमहानिदेशक (टीईसी)/वरि0 उप महानिदेशक (एलएफ)/वरि0 उप महानिदेशक (सर्तकता)
3. उप महानिदेशक (सुरक्षा)/उप महानिदेशक (एएस)/उप महानिदेशक (सीएस)/उप महानिदेशक (डीएम), दूरसंचार विभाग।
4. उप महानिदेशक (सी एंड ए), दूरसंचार विभाग - कृपया दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर इस संशोधन को अद्यतन करने की व्यवस्था करवाएं।
5. निदेशक (वीएएस-II), निदेशक (एएस-I)/निदेशक (एएस-III) - अपने-अपने लाइसेंसधारकों को परिचालन हेतु।
6. बेतार सलाहकार दूरसंचार विभाग, उप महानिदेशक (डब्ल्यूपीएफ), दूरसंचार विभाग।

91

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(एएस-II सेल)
संचार भवनस, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 842-582/2005-वीएएस दिनांक : 8 अप्रैल, 2008

सेवा में,

सभी सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारक
सभी एकीकृत अभिगम सेवाएं लाइसेंसधारक
भारत संचार निगम लिमिटेड
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

**विषय : सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) एकीकृत अभिगम सेवाएं और बुनियादी सेवा लाइसेंसों में संशोधन**

टेलीग्राफ के समुचित संचालन के लिए अभिगम सेवाएं प्रदान करने के लाइसेंस में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से संशोधन किया जाता है :

1. इंटरनेट टेलीफोनी की परिभाषा का संवर्धन :
"इंटरनेट टेलीफोनी" का अभिप्राय पब्लिक इंटरनेट के माध्यम से ध्वनि संकेत/संकेतों सहित संदेश/संदेशों का हंस्तांतरण" करने से है।

2. अन्य सभी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
3. कृपया इस पत्र की पावती दें।

**(एन0एम0 मणिकम)**
**निदेशक (एएस-IV)**

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, टीआरएआई, नई दिल्ली।
2. वरि0 उपमहानिदेशक,टीईसी, नई दिल्ली।
3. उप महानिदेशक (एलएफ)/उप महानिदेशक (डब्ल्यूपीएफ),/उप महानिदेशक (सुरक्षा)/उप महानिदेशक (एएस-I), उप महानिदेशक (एएस-II), उप महानिदेशक (सीएस), उप महानिदेशक (डीएस), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली।
4. उप महानिदेशक (सी एंड ए), दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु।

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(ऐक्सेस सेवाएं कक्ष)
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 842-495/2004-वीएएस/156 दिनांक : 18.07.2007

सेवा में,

एमटीएनएल और बीएसएनएल सहित
सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के सभी लाइसेंसधारक जिन्हें
2001 में अथवा इसके बाद सीएमटीएस लाइसेंस जारी किये गये हैं।

**विषय : 2001 में अथवा इसके बाद जारी किए गए सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा करार में संशोधन।**

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंस करार के खंड 5.1 के अनुपालन में सुरक्षा शर्तों से संबंधित खंड 44.8 को संलग्न ब्यौरों के अनुसार संशोधित किया जाता है।

2. समय-समय पर जारी संशोधनों और अनुदेशों सहित लाइसेंस करार की सभी अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. कृपया पावती दें।

**(ए0के0 धर)**
सहायक महानिदेशक (वीएस-I)
दूरभाष : 23372089

प्रतिलिपि :-

1. वरि0 उप महानिदेशक (टीईसी), खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली।
2. सचिव, टीआरएआई
3. बेतार सलाहकार, डब्ल्यूपीसी विंग
4. उप महानिदेशक (सुरक्षा), दूरसंचार विभाग
5. उप महानिदेशक (सीएस), दूरसंचार विभाग
6. उप महानिदेशक (डीएस), दूरसंचार विभाग
7. उप महानिदेशक (सी एंड ए) - दूरसांर विभाग वेबसाइट अद्यतन करने हेतु
8. एएस सेल के सभ निदेशक
9. गार्ड फाइल

13

| दिनांक 12 अगस्त, 2002 के पत्र सं0 842-47/2002-वीएएस और 27 फरवरी, 2007 के पत्र सं0 842-495/2004-वीएएस/107 के तहत जारी सीएमटीएस लाइसेंस संशोधन की मौजूदा शर्तें | संशोधित शर्त/शर्तें |
| --- | --- |
| 5.8(ii) लाइसेंसधारक नियंत्रण रेखा (एलओसी), वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ जम्मू व कश्मीर में अखनूर और पठानकोट क्षेत्रों में, जो भी लागू हो, 10 कि0मी0 की चौड़ाई का "बफर जोन" सृजित करेंगे। इसमें वे अपने सेल साइट/साइटें/बीटीएस/रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित नहीं करेंगे। | 5.8(ii) लाइसेंसधारक नियंत्रण रेखा (एलओसी), वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ जम्मू व कश्मीर में अखनूर क्षेत्र और पठानकोट के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा में, जो भी लागू हो, 10 कि0मी0 की चौड़ाई का "बफर जोन" सृजित करेंगे। इसमें वे मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने-अपने सेल साइट/साइटें/बीटीएस/रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित नहीं करेंगे। |

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(ऐक्सेस सर्विस सेल)
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 842-495/2004-वीएएस/155 दिनांक : 18.07.2007

सेवा में,

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के सभी लाइसेंसधारक जिन्हें 2001 से पूर्व सीएमटीएस लाइसेंस जारी किए गए हैं।

महानगरीय सेवा क्षेत्रों के लिए जारी किए गए सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंसकरार के खंड 13(ii) और दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों के लिए जारी किए गए सीएमटीएस लाइसेंस करार के खंड 14(i) के अनुपालन में सुरक्षा शर्तों से संबंधित दिनांक 12 अगस्त, 2002 के पत्र सं0 842-47/2002-वीएएस जारी किए गए सीएमटीएस लाइसेंसों का संशोधन करने के खंड 5.8(ii) और तदन्तर 26.02.2007 के पत्र सं0 842-495/2004-वीएएस/107 के तहत जारी संशोधन को संलग्न ब्यौरों के अनुसार संशोधित किया जाता है।

2. समय-समय पर जारी किए गए संशोधनो और अनुदेशों सहित लाइसेंस के सभी अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. कृपया पावती दें।

**(ए0के0 धर)**
**सहायक महानिदेशक (वीएएस-I)**
**दूरभाष 23372069**

प्रतिलिपि :-

1. वरि0 उप महानिदेशक (टीईसी), खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली।
2. सचिव, टीआरएआई
3. बेतार सलाहकार, डब्ल्यूपीसी विंग
4. उप महानिदेशक (सुरक्षा), दूरसंचार विभाग
5. उप महानिदेशक (सीएस), दूरसंचार विभाग
6. उप महानिदेशक (डीएस), दूरसंचार विभाग
7. उप महानिदेशक (सी एंड ए) - दूरसांर विभाग वेबसाइट अद्यतन करने हेतु
8. एएस सेल के सभ निदेशक
9. गार्ड फाइल

95

| सीएमटीएस लाइसेंस (2001 में जारी) की मौजूदा स्थिति | संशोधित शर्त/शर्तें |
|---|---|
| 44.8 लाइसेंसधारक नियंत्रण रेखा (एलओसी), वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ जम्मू व कश्मीर में अखनूर और पठानकोट क्षेत्रों में, जो भी लागू हो, 10 कि0मी0 की चौड़ाई का "बफर जोन" सृजित करेंगे। इसमें वे अपने सेल साइट/बीटीएस/रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित नहीं करेंगे। | 44.8 लाइसेंसधारक नियंत्रण रेखा (एलओसी), वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ जम्मू व कश्मीर में अखनूर क्षेत्र और पठानकोट क्षेत्र के बीच "बफर जोन" सृजित करेंगे जिसमें वे मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए अपने सेल साइट/बीटीएस/रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित नहीं करेंगे। |